

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the National Agricultural Produce Price Fixation Tribunal Bill, 2018.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आवश्यक वस्तु माने गए कृषि उत्पाद मूल्य नियतन से संबंधित मामलों में, किसानों कृषि विज्ञ और आम जनता के उपजीविका अधिकारों को बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 323 (ख) (छ) के अनुपालन में एक राष्ट्रीय कृषि उत्पाद मूल्य नियतन अधिकरण की स्थापना और उससे संसक्त या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Agricultural Produce Price Fixation Tribunal in pursuance of article 323B(2)(g) of the Constitution to uphold the livelihood rights of farmers, agriculturist and the general public, in matters relating to price fixation of agricultural produce considered as essential commodities and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।